तारीख
हुक्म

14/1/25

प.ग्रा. [illegible] [illegible] [illegible] सह
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
प.ग्रा. [illegible]

प.ग्रा. [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल -

[illegible]

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नंबर
यह
मिनजानिब
डिकरी

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान छत्तरसिंह बनाम राज0 सरकार वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 68/2010

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.01.2025 को जारी की गई ।

मुहर दस्तखत————————
14/01/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

1. छतरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादी

14/01/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 68/2010
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2010/00051
किस्म दावा 88.89.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 14.01.2025

1. छतरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई। प्रतिवादी

उपस्थित श्री रामकिशन पूनियां एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1320 रकवा 0.26 व 1329 रकवा 0.17, 1330 रकवा 0.20, व 1331 रकवा 0.0 व 1332 रकवा 0.06 किता 5 कुल रकवा 1.19 हैक्ट. मे से 2 बी. 4 विस्वा जिसका साबिक ख.न. 885 रकवा 4 बी. 14 विस्वा है संवत 2028 के बन्दोबसत के पूर्व इसके साबिक खसरा नम्बर 823 व 824 थं। यह आराजी ग्राम शाहपुर तहसील नदबई में सिाति है। जो वादी की पैत्रिक है। वादी से पूर्व आराजी मुत. को उसके पिता बाबा वगै. व हैसियत कृषक काश्त करते चले आ रहे थें। और अब उनके मरणोउपरान्त वादी विरासतन काबिजकाश्त है।
2. यह है कि विवादित आराजी का स्वरूप कभी भी अनऑक्यूपाईड नहीं रहा है। जिसके संदर्भ में निर्णय श्रीमान उपजिलाधीश भरतपुर दिनांक 29.09.1977 व मुकदमे कार्यवाही अंतर्गत धारा 145 जा0 फौजदारी में वादी का कब्जा आराजी में से 2 बीघा 4 बिस्वा पर घोषित किया जा चुका है। और उक्त निर्णय की रोशनी में भी वाद संख्या 391/86 [illegible] बनाम राज. सरकार दिनांक 06.03.1987 श्रीमान सहायक जिलाधीश नदबई द्वारा डिक्री किया है। वादी आराजी का कॉटीनेन्ट है और [illegible] हक में तदनुसार खातेदारी की घोषणा कराने का मुश्तहक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

गं
14/1/25

3. यह कि वादी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर व तहसीलदार नदबई को दफा 80 जा0दी0 का नोटिस भी वादी के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने बाबत् प्रेषित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी राजस्थान सरकार का वादी की उक्त आराजी से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज गलत अंकन का वादी के हक व अधिकार के विपरीत बेजा इस्तेमाल करना चाहता है। जिसकी धमकी प्रतिवादी द्वारा 15.03.2010 को दफा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही करते हुए दी गई तथा आराजी से बेदखल करने का अल्टीमेटम दिया गया है जो वादी के कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अंत में प्रार्थना की कि वादीगण को खातेदारी व हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस कदर की जावे कि विवादित आराजी में से 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी का मुताबिक निर्णय अंतर्गत धारा 145 जा0फौजदारी व निर्णय सहायक कलक्टर दिनांक 06.03.1987 के आधार पर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजात कलंगजन किया जावे तथा वादीगण को बहैसियत खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

4. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार नदबई उपस्थित हुए। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर वादपत्र के पृष्ठ संख्या 2 के पीछे अपना जबाव अंकित किया गया।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जिस पर वह विरासतन काबिज है।– जिम्मेवादी

2. आया वादी मुताबिक निर्णय 145 जा0फौजदारी तथा सहायक कलक्टर नदबई के दिनांक 06.03.1987 के अनुसार अपने हक में डिक्लेरेशन खातेदारी करा पाने का अधिकारी है।– जिम्मेवादी

3. आया वाद वादी साबिक रिकॉर्ड के अभाव में काबिल खारिजी के है।– जिम्मेप्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

14/1/25

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम शाहपुर प्रदर्श1, नकल जमाबंदी संवत 2011–14 वाके ग्राम शाहपुर प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 4 पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र छतर सिंह पुत्र रतन जाति जाट निवासी शाहपुर, कलुआ राम पुत्र बिस्सु जाति जाटव निवासी शाहपुर, समयसिंह पुत्र परभाती जाति जाट निवासी शाहपुर पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

1. आया विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जिस पर वह विरासतन काबिज है।—उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2011–14 पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 825/3114 पर वादीगण के पिता रतन सिंह के नाम अंकन है तथा अन्य खसरा नंबर अंकित नहीं है। नकल जमाबंदी संवत 2069–71 पेश की गई जिसमें खाता संख्या 73 पर जवाहर सिंह, मेवासिंह, सुमेरसिंह पिसरान पूरन सिंह हिस्सा बराबर 5/119 , राजाराम पुत्र मूलीराम हिस्सा 20/119 कौम जाट साकिन देह व सिवायचक 94/119 हिस्सा खसरा नंबर 1328 रकबा 0.26 चाही द्वितीय, 1329 बंजड, 1330 बंजड, 1331 चाही, 1332 चाही द्वितीय अंकित दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा पैतृक आराजी के संबंध मे जमाबंदी संवत 2011–14 के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही काश्त बाबत् कोई खसरा गिरदावरी पेश की गई है। तथा न ही वादीगण विरासत के रूप में कब्जेका... कोई रिकॉर्ड पेश किया है। जिससे यह साबित होता हो कि उक्त ...राजी वादी की पैतृक चली आ रही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested

14/1/25

2. आया वादी मुताबिक निर्णय 145 जा0फौजदारी तथा निर्णय सहायक कलक्टर नदबई के दिनांक 06.03.1987 के अनुसार अपने हक में डिक्लेरेशन खातेदारी करा पाने का अधिकारी है।–उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। वादीगण द्वारा निर्णय 145 जा0फौजदारी व निर्णय सहायक कलक्टर दिनांक 06.03.1987 के बाबत् केवल फोटोप्रति पेशी की गई हैं जो कि उक्त दस्तावेजातों पर प्रदर्श नहीं डाले गए हैं अतः उक्त दस्तावेजातों को वादपत्र में रिकॉर्ड के रूप में नहीं पढा जा सकता है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वाद वादी साबिक रिकॉर्ड के अभाव में काबिल खारिजी के है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा एवं वादी द्वारा रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजीयात वादी की पैतृक आराजी सिद्ध नहीं होती है एवं आराजीयात बंजड एवं सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वर्तमान खसरा नंबर संवत 2028 के खसरा नंबर 822, 823, 824 व 825 से निर्मित हुए हैं जबकि पत्रावली में केवल 825 खसरा नंबर ही अंकित है। शेष खसरा नंबर 822, 823, 824 का अंकन नहीं है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 में खसरा नंबर 824 बंजड, 825 बंजड, सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 822, 823, 824 के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है चूंकि विवादित आराजीयात सिवायचक एवं बंजड भूमि है। जिसमें से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वादी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र सिद्ध न होने का खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.1.25 को खुले न्यायालय में [illegible]या जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14/1/25

गंगाधर मीणा (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:55 IST
Reason: SelfAttested